संख्या : 241/2/01/11/2021-22

दिनांक: 2611012021

दिनांक 16.09.2021 को अपरान्ह् 05:30 बजे, वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के संबंध में प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ की अध्यक्षता में स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

उक्त बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित रहें।

- 1. श्री अनिल कुमार (।।।), प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2. श्रीमती शकुन्तला गौतम, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3. श्री ए० के० सिंह, मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 4. श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता (ओ०एम० एण्ड एम० सेल०), उ०प्र०, लखनऊ।
- 5. श्री संजय कुमार सिंह, कन्सलटेन्ट, (ओ०एम० एण्ड एम० सेल०), उ०प्र०, लखनऊ।

श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता एवं श्री संजय कुमार सिंह, कन्सलटेन्ट, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा अनुबंध के Volume-I, Section-V- Scope of work and Technical Parameters के विभिन्न क्लॉज यथा क्लॉज—5.5.2, 5.5.3, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.5.7 व 5.5.9 के अनुसार सीवर लाइन, सीवेज पियंग स्टेशन, मुख्य पियंग स्टेशन एवं एस०टी०पी० के नियमित दिन प्रतिदिन रखरखाव (Daily Routine Maintenance) के विषय में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया कि **अनुबंध के Volume-I के अनुसार Section-**V- Scope of work and Technical Parameters के क्लॉज—5.5.8 में केन्टीजेन्सी प्लान के विषय
में अवगत कराया गया कि फर्मों को कन्टीजेन्सी प्लान प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

बैठक में Major Replacement Fund (एस्क्रो एकाउंट) से कराये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव निम्नानुसार किया गया।

श्री मनीष कुमार सिंह, मुख्य अभियन्ता एवं श्री संजय कुमार सिंह, कन्सलटेन्ट, ओ०एम० एण्ड एम० सेल द्वारा वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न पैकेज हेतु गठित अनुबंधों में वन सिटी वन ऑपरेटर कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य के विषय में अवगत कराया गया कि अनुबंध के अन्तर्गत कराये जाने वाले समस्त प्रकार के कार्यों (जिसमें मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जाने वाले कार्य भी सम्मिलित हैं) के उद्देश्य का व्याख्यान अनुबंध के क्लॉज संख्या—2.1 एवं 2.2 में किया गया है।

अनुबंध के Interpretation & Abbreviation में मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड का व्याख्यान किया गया है जिसमें मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष रिपेयर / रिप्लेसमेन्ट / नये कार्य कराये जा सकते हैं जो कि अनुबंध के अन्तर्गत क्लॉज संख्या—2.1 एवं 2.2 में दिये गये उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करते हो।

यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के कॉन्ट्रेक्ट डाटा के क्लाज संख्या—6 में Liquidate Damages (Operations) for Network में Performance Standard निर्धारित हैं परन्तु उल्लिखित Performance Standard के अनुश्रवण हेतु वर्तमान में कोई व्यवस्था स्थापित नहीं है। अतः Performance Standard के अनुश्रवण हेतु आवश्यक व्यवस्था की स्थापना हेतु आवश्यक कार्यों को मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराया जा सकता है।

यह भी अवगत कराया गया कि अनुबंध के Volume-I में Section-II के क्लाज—2.8 Major replacement Fund के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य हेतु प्रस्ताव/डी०पी०आर० बनाते समय यह





सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उसमें Contractor labor and Profit सम्मिलित न हो। इसके अतिरिक्त उसमें जी०एस०टी० भी अगल से देय नहीं होगी।

उपरोक्तानुसार मुख्य अभियन्ता, ओ० एम० एण्ड एम० सेल, कन्सलटेन्ट, ओ०एम० एण्ड एम० सेल0 एवं मुख्य अभियन्ता, उ०प्र0 जल निगम द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों की संस्तुति निम्नानुसार की जाती हैं:-

अ. सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट

 एस०टी०पी० के परफॉरमेन्स में वृद्धि, इनके संचालन में विद्युत व्यय में कमी करने एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित एफ्लूएन्ट पैरामीटर्स को प्राप्त करने हेतु जो भी आवश्यक कार्य हों उनको प्राथमिकता पर मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराया जाना होगा।

2. यदि विद्युत यांत्रिक कार्यों / यंत्र-संयंत्र की डिजाइन अवधि पूर्ण हो चुकी हो एवं इनकी कार्य क्षमता में अत्यधिक कमी हो गयी हो तो नये विद्युत यांत्रिक संबंधी उपकरणों की प्रतिस्थापना के कार्य मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जा सकते हैं।

ब.-एसपीएस और सीवर सिस्टम

1. पम्पिंग स्टेशन पर पलोमीटर लगाये जाने एवं वियर से ओवरपलों के अनुश्रवण हेतु कार्य के प्रस्ताव मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड में किये जायें जिससे सीवेज डिस्चार्ज तथा ओवरफ्लो की जानकरी प्राप्त हो सके।

2. यदि विद्युत यांत्रिक कार्यों की डिजाइन अवधि पूर्ण हो चुकी हो एवं प्राप्त होने वाला वर्तमान डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से अधिक है, तो नये आवश्यक क्षमता के विद्युत यांत्रिक संबंधी उपकरणों की प्रतिस्थापना के कार्य मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड से कराये जा सकते हैं। यह भी देखा जाना चाहिए कि प्रतिस्थापित किए जाने वाले विद्युत यांत्रिक उपकरण कहीं और उपयोग किए जा सकते हैं अथवा नहीं।

3. पम्पिंग स्टेशन एवं सीवर सिस्टम पूरी क्षमता से कार्य करे इसके लिये जो भी आवश्यक कार्य हो उनको मेजर रिप्लेसमेन्ट से कराये जाने हेतु प्रस्ताव किया जा सकता है। '

बैठक का प्रस्ताव:-सर्वसम्मति से यह निर्देश दिये गये कि अनुबन्ध की शर्तों के अनुरुप अनुबंधित फर्मों द्वारा 2 माह में कन्टीजेन्सी प्लान प्रस्तुत करें।

समिति द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड (एस्क्रो एकाउंट) से कराये जाने वाले कार्यो पर विचार विमर्श किया गया एवं ओ०एम० एण्ड एम० सेल एवं मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम द्वारा मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के सापेक्ष कराये जाने वाले कार्यों की संस्तुति के दृष्टिगत उपरोक्त समस्त कार्यों को मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड (एस्क्रो एकाउंट) से कराये जाने पर सहमति व्यक्त करते हुये प्राक्कलन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में विचार विमर्श उपरान्त यह भी निर्देश दिये गये कि यदि किसी मुहल्ला / कालोनी में सीवर लाइन पूर्व से बिछी है और उस मुहल्ला / कॉलोनी की कुछ गलियों में सीवर लाइन छूट गयी है अथवा नहीं बिछी है और यदि इन छूटी हुई गलियों में सीवर लाइन डालने से मुहल्ले का सीवर एस०टी०पी० तक पहुँचने लगेगा तो ऐसी स्थिति में इन छूटी हुई गलियों में नया सीवर लाइन मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत डाली जा सकती हैं।

इसी प्रकार यदि कोई सीवर नाले में गिर रहा हो तो ऐसे सीवर को संबंधित एस०टी०पी० पर जोड़े जाने हेतू, कार्य को मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के अन्तर्गत कराया जा सकता हैं।





- बिन्दु सं iii) एवं iv) में नयी सीवर लाइन डालने से पूर्व इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जानी प्रस्तावित है वह क्षेत्र संबंधित एस0टी0पी0 के कैचमेन्ट में हो एवं वर्तमान में संबंधित एस0टी0पी0 पर डिजाइन श्राव से कम मात्रा में श्राव पहुँच रहा हो तथा प्रस्तावित सीवर लाइन डालने के उपरान्त संबंधित एस0टी0पी0 पर पहुँचने वाले श्राव में वृद्धि हो। इसके अतिरिक्त समस्त कार्य Daily Routine Preventive Maintenance एवं Daily Routine Breakdown Maintenance में कराये जाने होंगें।
- vi- बैठक में यह भी निर्देश दिये गये कि मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड (एस्क्रो एकाउंट) के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य में यह सुनिश्चित किया जाए कि उसमें यदि contractor labour अर्थात् Daily Routine Maintenance में फर्म द्वारा तैनात Work force (Labour) का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी दशा में अलग से कोई लेबर देय नहीं होगा।
- vii- मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड हेतु जो भी प्राक्कलन तैयार किये जाये उसमें contractor labour एवम् contractor profit हटाते हुये नयी Rate Analysis को तैयार कर प्राक्कलन में संलग्न किया जाये तथा इस हेतु आवश्यक है कि contractor labour (विवरण सहित) की सूची भी तैयार कर ली जाये।

viii- मेजर रिप्लेसमेन्ट फण्ड के कार्य में जीoएसoटीo देय नहीं है।

उक्त प्रस्ताव अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित समिति के सम्मुख निर्णायार्थ प्रस्तुत किया जाना समीचीन है।

(संजय कुमार सिंह) कन्सलटेन्ट, OM&M Cell (मनीष कुमार सिंह) मुख्य अभियन्ता, OM&M Cell

(ए० के० सिंह) मुख्य अभियन्ता (नागर) उ०प्र० जल निगम, लखनऊ

(शकुन्तला गौतम) निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, लखनऊ

(अनिल कुमार—III) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम (भगरीय), लखनऊ